[2019] 17 एस. सी. आर 1089

राजेन्द्र दीवान

वी.

प्रदीप कुमार रानीबाला और ए. एन. आर.

(2016 की सिविल अपील संख्या 3613)

10 दिसंबर, 2019

[अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी, वाइन सरन, एम. आर. शाह और एस. रवींद्र भाट, जे. जे।]

छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम, 2011-एस। 13 (2) – अपील करें

किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के उच्चतम न्यायालय के आदेश के विरुद्ध

एस की वैधता। 13 (2) - आयोजित किया गयाः कला के एक संयुक्त पठन पर। 323 बी और कला। 245 और सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 18 के साथ 246, छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल किराया नियंत्रण अधिनियम को लागू करने के लिए सक्षम था, इस हद तक कि यह किराया नियंत्रक द्वारा किरायेदारी और किराए से संबंधित मूल विवादों का न्यायनिर्णयन, और किराया नियंत्रक के आदेशों से अपीलों पर निर्णय लेने के लिए एक न्यायाधिकरण का निर्माण-हालांकि, राज्य सूची की प्रविष्टि 64 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 46 स्पष्ट रूप से राज्य विधानमंडल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में कानून बनाने से रोकती है। 200 एक पराधिकार अधिनियम को मान्य नहीं कर सकता है जिसके लिए संबंधित विधानमंडल में क्षमता का अभाव है

अधिनियम-इस प्रकार, एस। 13 (2) किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में सीधी अपील का प्रावधान नहीं है

किराया नियंत्रण अधिनियम को अधिनियमित करने की छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल की शक्ति के लिए सहायक या आनुषंगिक, जो एक न्यायाधिकरण द्वारा किरायेदारी और किराए से संबंधित अपीलों के अपीलीय निर्णय का प्रावधान करता है। 13 (2) किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत, छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल ने अपनी विधायी शक्ति की सीमाओं का खुले तौर पर उल्लंघन किया-इस प्रकार, छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल के पास ऐसा कोई भी कानून बनाने की क्षमता नहीं थी जो अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करता हो। उच्चतम न्यायालय का, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर-इस प्रकार, एस। 13 (2) घोषित किया जाता है कि यह संविधान के अधिकार से बाहर है, अमान्य है और इसका कोई प्रभाव नहीं है-भारत का संविधान-अनुच्छेद। 323 बी और कला। 245 और सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 18 के साथ 246।

भारत का संविधान

किसी भी अधिनियम के अधिकार

विचार-आयोजितः यह देखा जाना चाहिए कि क्या समग्र रूप से कानून को देखते हुए इसे एक कानून कहा जा सकता है,

पर्याप्त रूप से उन मामलों में से किसी के संबंध में, जिनके संबंध में विधानमंडल संविधान के किसी विशिष्ट अनुच्छेद के तहत, या सातवीं अनुसूची में प्रासंगिक सूची में से किसी भी प्रविष्टि के तहत कानून बनाने के लिए सक्षम है-एक बार जब यह माना जाता है कि ऐसा है, तो उस प्रविष्टि द्वारा प्रदत्त विधायी शक्ति का विस्तार सभी तक करना है।

एक प्रविष्टि में उपयोग की जाने वाली भाषा को आयाम दिया जाना चाहिए, इसकी सामग्री को दूसरे के साथ सुसंगत बनाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। प्रविष्टियाँ, ताकि बाद वाले को निरर्थक न बनाया जाए

क़ानूनों की व्याख्या।

भारत का संविधान-कला। 245 - संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून-कानून बनाने की शक्ति-आयोजितः दोनों

संघ विधानमंडल और राज्य विधानमंडल अनुच्छेद से विधान बनाने की अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। 245 - किसी राज्य का विधानमंडल केवल पूरे राज्य या किसी भी भाग के लिए कानून बना सकता है, जबकि संसद पूरे भारत के क्षेत्र के लिए या किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है-संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अनुच्छेद के समान अतिरिक्त-क्षेत्रीय संचालन के साथ राज्य के कानूनों को बचाता है। 245 (2) जो स्पष्ट रूप से संसद द्वारा अधिनियमित अतिरिक्त-क्षेत्रीय संचालन के साथ केंद्रीय कानूनों को बचाता है-इस प्रकार, छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल में, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले किसी भी कानून को लागू करने की क्षमता का स्पष्ट रूप से अभाव है।

भारतीय संविधान कला। 138 अनुच्छेद 138 (2) के तहत उच्चतम न्यायालय की अवधि 'विशेष समझौते' के अधिकार क्षेत्र का विस्तार-आयोजितः कला. 138 (2) यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय के पास किसी भी मामले के संबंध में ऐसी आगे की अधिकारिता और शक्तियां होंगी।

भारत सरकार और किसी भी राज्य की सरकार विशेष समझौते द्वारा प्रदान कर सकती है, यदि संसद कानून द्वारा प्रावधान करती है

उच्चतम न्यायालय विशेष समझौते द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का अर्थ है, भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार के बीच विचार-विमर्श और बातचीत के माध्यम से किया गया एक स्वतंत्र समझौता, न कि केवल मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विधान का अनुमोदन-किसी भी मामले में, सर्वोच्च न्यायालय दोनों पक्षों के बीच एक विशेष समझौते के अनुसार आगे की अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है।

भारत सरकार और राज्य सरकार किसी भी विशेष पर

मुद्दा, कानून द्वारा प्रदान की गई संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग के लिए प्रावधान करती है।

राजेन्द्र दीवान बनाम। प्रदीप कुमार राणिबाला और ए. एन. आर.

भारत का संविधान-कला। 200 , दूसरा परंतुक-बिलों के लिए सहमति की आवश्यकता-आयोजितः कला. 200 द्वारा पारित विधेयकों की आवश्यकता है

किसी राज्य की विधान सभा, या विधान परिषद वाले राज्य के मामले में, राज्य के दोनों सदनों द्वारा पारित एक विधेयक राज्य का विधानमंडल, जिसे सहमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है-ऐसे विधेयक राज्यपाल की सहमति प्राप्त होने पर कानून बन जाते हैं।

कला के लिए दूसरा प्रावधान। 200 , राज्यपाल को किसी विधेयक को मंजूरी देने से प्रतिबंधित करता है, जो राज्यपाल की राय में, यदि यह कानून बन जाता है, तो उच्च न्यायालय की शक्तियों का इतना अवमूल्यन करेगा कि -

उस स्थिति को खतरे में डालना जिसे उच्च न्यायालय, संविधान द्वारा, भरने के लिए डिज़ाइन किया गया है-राज्यपाल इस तरह के विधेयक को आरक्षित करने के लिए बाध्य है

राष्ट्रपति का विचार-राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून के मामले में राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है, जो उच्च न्यायालय की शक्तियों का अपमान करेगी, क्योंकि उस स्थिति को खतरे में डालती है जिसे वह न्यायालय, संविधान द्वारा, भरने के लिए बनाया गया है-अनुच्छेद का दूसरा परंतुक। 200 एस के मामले में आकर्षित नहीं है। 13 (2) किराया नियंत्रण अधिनियम, क्योंकि यह किसी भी शक्ति से अवमूल्यन नहीं करता है

उच्च न्यायालय-छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम, 2011।

भारत का संविधान-कला। 226 और 227-के तहत उच्च न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति-आयोजितः की शक्ति कला द्वारा प्रदत्त अधीक्षण। 227 पर्यवेक्षी है और अपीलीय नहीं-इस शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना है,

अधीनस्थ अदालतें और न्यायाधिकरण अपने अधिकार की सीमा के भीतर-उच्च न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब न्याय का गंभीर गर्भपात या कानून का स्पष्ट उल्लंघन होता है-हस्तक्षेप कानून की पेटेंट त्रुटि के मामलों तक सीमित है जो निर्णय की जड़ तक जाता है; विकृति; मनमानेपन और/या अनुचितता; प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, अधिकार क्षेत्र की कमी और शक्तियों का दुरूपयोग-उच्च न्यायालय साक्ष्य और/या सामग्री का पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है।

यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा

उच्च न्यायालय की अधिकारिता को एक वैकल्पिक अपीलीय मंच में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि कानून की नजर में अपील का कोई अन्य प्रावधान नहीं है।

निर्दिष्ट प्रश्न का उत्तर देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. राज्य विधानमंडल में विधायी व्यवस्था का अभाव था।

छत्तीसगढ़ किराया [2019] 17 एस. सी. आर. की धारा 13 (2) को लागू करने की क्षमता।

नियंत्रण अधिनियम, 2011। इसलिए, किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2) को भारत के संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया गया है, और शून्य और कोई प्रभाव नहीं। [पैरा 89] [1127-ई]

एल. चंद्रकुमार बनाम। भारत संघ और अन्य आकाशवाणी

(1997) एससी 125-अनुसरण किया गया। एच. एस. यादव बनाम शकुंतला देवी परख (2019) 10

एस. सी. सी. 265 पर भरोसा किया।

कला का खंड (3)। 246 , सातवीं सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति अनुसूची, अर्थात समवर्ती सूची। राज्य विधानमंडल के पास मामलों के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है।

राज्य सूची में सूचीबद्ध, कला के खंड (1) और (2) के अधीन। 246. संघ विधानमंडल के साथ-साथ राज्य विधानमंडल भी मामलों के संबंध में कानून बनाने में सक्षम है।

समवर्ती सूची में सूचीबद्ध, अनुच्छेद 246 (1) के प्रावधानों के अधीन। [पैरा 37,38] [1117-ई-जी]

3.1 तत्काल मामले में प्रासंगिक प्रविष्टियाँ हैं, संघ सूची की प्रविष्टि 77, राज्य सूची की प्रविष्टि 18 और 65 और

समवर्ती सूची की प्रविष्टि 46। राज्य सूची की प्रविष्टि 18 राज्य विधानमंडल को भूमि के संबंध में कानून बनाने में सक्षम बनाती है, जिसमें भूमि में और भूमि पर अधिकार, भूमि स्वामी और किरायेदार के संबंध सहित भूमि कार्यकाल और किराया संग्रह शामिल हैं। राज्य विधानमंडल के पास भूमि की अवधि के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होने के कारण, जिसमें मकान मालिक और किरायेदार का संबंध और किराया संग्रह शामिल है, उसके पास किराया नियंत्रण अधिनियम को लागू करने की विधायी क्षमता थी, जहां तक यह संबंध को नियंत्रित करता है।

मकान मालिक और किरायेदार और किराए का संग्रह। [पैरा 39,42] [1117-एच; 1118-ए-एच; 1119-ए]

3.2 राज्य सूची की प्रविष्टि 18, जो केवल राज्य विधानमंडल को भूमि, भूमि कार्यकाल के संबंध में कानून बनाने में सक्षम बनाती है, मकान मालिक किरायेदार संबंध, किराए का संग्रह आदि राज्य विधानमंडल को अपीलीय राजेंद्र दीवान बनाम को प्रदान करने वाली कानून बनाने में सक्षम नहीं बनाता है।

प्रदीप कुमार रानीबाला और ए. एन. आर.

राज्य के कानून के तहत गठित एक अपीलीय किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता। [पैरा 53] [1121-ए-बी]

3.3 संघ सूची की प्रविष्टि 77 को ध्यान में रखते हुए, केवल संसद के पास इस संबंध में कानून बनाने की विधायी क्षमता है - संविधान, संगठन, अधिकार क्षेत्र या सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ

अदालत। राज्य सूची की प्रविष्टि 64 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 46 राज्य विधानमंडल को सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियों के संबंध में कानून बनाने में सक्षम बनाती है। दूसरे शब्दों में, उक्त प्रविष्टियाँ राज्य विधानमंडल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में कानून बनाने से स्पष्ट रूप से रोकती हैं। [पैरा 54] [1121-बी-सी]

4.1 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है और यह अपना अधिकार क्षेत्र प्राप्त करता है और

उच्चतम न्यायालय, राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी भी कानून के तहत गठित न्यायाधिकरण के आदेश से। [पैरा 40] [1118-ई] 4.2 संविधान का अनुच्छेद 262 (2) जो संसद को सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को निरस्त करने वाला कानून बनाने में सक्षम बनाता है।

संविधान के अनुच्छेद 262 (1) और अनुच्छेद 348 में निर्दिष्ट विवादों पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय यह दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सभी मामले विशेष रूप से संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं।

5.1 अनुच्छेद 323 बी (3) (डी) में प्रावधान है कि अनुच्छेद 323 बी (1) के तहत बनाया गया कानून सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर सकता है, सिवाय इसके कि उक्त न्यायाधिकरणों की अधिकारिता में आने वाले सभी या किसी भी मामले के संबंध में अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता। अनुच्छेद 323 बी राज्य विधानमंडल को अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से उच्चतम न्यायालय में आगे की वैधानिक अपील के लिए एक प्रावधान लागू करके सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने में सक्षम नहीं बनाता है। [पैरा 55] [1121 डी]

5.2 सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 18 के साथ अनुच्छेद 323 बी और अनुच्छेद 245 और 246 के संयुक्त पठन पर, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि राज्य विधानमंडल सभी विवादों, [2019] 17 एस. सी. आर. के न्यायनिर्णयन और परीक्षण का प्रावधान करने के लिए कानून बनाने में सक्षम था।

एक द्वारा किरायेदारी और किराए से संबंधित शिकायतें और अपराध न्यायाधिकरण। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल सक्षम था।

6. जब किसी अधिनियम के अधिकार के प्रश्न पर विचार किया जाता है, तो यह देखा जाता है कि क्या समग्र रूप से विधान को देखते हुए, इसे किसी भी मामले के संबंध में एक विधान कहा जा सकता है, जिसके संबंध में - विधानमंडल संविधान के किसी विशिष्ट अनुच्छेद के तहत या संबंधित सूची में से किसी भी प्रविष्टि के तहत कानून बनाने में सक्षम है।

सातवीं अनुसूची। एक बार जब यह माना जाता है कि ऐसा है, तो उस प्रविष्टि द्वारा प्रदत्त विधायी शक्ति सभी को दी जाएगी।

सहायक मामले, जिन्हें उस क्षेत्र में निष्पक्ष और उचित रूप से समझा जा सकता है। [पैरा 48] [1119-एच; 1120-ए-बी]

संयुक्त प्रांत बनाम। अतिका बेगम ए. आई. आर. 1941 एफ. सी. 16 (25)

- संदर्भित किया गया।

7.1 किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2),

किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में सीधी अपील, शक्ति के लिए सहायक या आकस्मिक नहीं है।

छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल द्वारा एक किराया नियंत्रण अधिनियम अधिनियमित करने के लिए, जो एक न्यायाधिकरण द्वारा किरायेदारी और किराए से संबंधित अपीलों के अपीलीय निर्णय का प्रावधान करता है। किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2) को लागू करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल ने

अपनी विधायी शक्ति की सीमाओं का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया। [पैरा 49] [1120-सी]

7.2 जबकि एक प्रविष्टि में उपयोग की जाने वाली भाषा को सबसे व्यापक आयाम दिया जाना चाहिए, इसकी सामग्री को अन्य प्रविष्टियों के साथ सुसंगत बनाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि बाद वाले को निरर्थक न बनाया जा सके। संघ विधानमंडल और राज्य विधानमंडल दोनों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 से कानून बनाने की अपनी शक्ति प्राप्त होती है। यह स्वयंसिद्ध है कि किसी राज्य का विधानमंडल केवल राज्य के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है, जबकि संसद पूरे या भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। में कोई प्रावधान नहीं है

संविधान जो राज्य के कानूनों को अतिरिक्त-क्षेत्रीय राजेंद्र दीवान बनाम के साथ बचाता है।

प्रदीप कुमार रानीबाला और ए. एन. आर.

संचालन, अनुच्छेद 245 (2) के समान है जो संसद द्वारा अधिनियमित अतिरिक्त-क्षेत्रीय संचालन के साथ संघ के कानूनों को स्पष्ट रूप से बचाता है। इस प्रकार, छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल में ऐसा कोई कानून बनाने की क्षमता नहीं है जो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करता हो।

न्यायालय, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर। [पैरा 50,51] [1120-डी एफ]

7.3 यह निवेदन कि किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2) उच्चतम न्यायालय को अधिकारिता प्रदान नहीं करती है पहले से अधिकार में नहीं है, लेकिन केवल अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्ति का आकस्मिक और/या विस्तार है, कानून में टिकाऊ नहीं है। [पैरा 56] [1121-ई]

8.1 संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय नियमित अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। की शक्ति

अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय को विशिष्ट कानूनों के तहत अपीलीय न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली अपीलीय शक्ति के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 136 किसी भी पक्ष को अपील करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय को उचित मामलों में हस्तक्षेप करने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति का प्रयोग संविधान या किसी अन्य कानून में निहित अपील के लिए अन्य प्रावधानों के बावजूद किया जा सकता है। किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए किसी क़ानून द्वारा दी गई निष्कर्षात्मकता या अंतिमता,

सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से नहीं रोक सकते। अपीलीय अधिकारिता है इसका प्रयोग तब नहीं किया जाता है जब कोई क़ानून न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी निर्णय को अंतिम रूप देता है। [पैरा 57-59] [1121-F-H; 1122-A-B]

एन. नटराजन बनाम बी. के. सुब्बा राव (2003) 2 एससीसी 76;

ढाकेश्वरी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम के आयुक्त

आयकर, पश्चिम बंगाल ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 65-निर्दिष्ट को।

8.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमति द्वारा अपीलों पर विचार करता है, जहां

कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न

शामिल हैं। जहाँ कानून में कोई अनिश्चितता होती है, वहाँ सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से कानून का निपटारा करता है। उच्चतम न्यायालय आम तौर पर अनुच्छेद 136 के तहत तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता है। यदि समवर्ती निष्कर्ष स्वीकृत मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत कोई हस्तक्षेप नहीं है। [पैरा 60] [1122-सी] [2019] 17 एस. सी. आर.

8.3 संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय फिर से सराहना नहीं करता है

साक्ष्य जिसकी विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा सराहना की गई है, जब तक कि असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद न हों। यह केवल तभी होगा जब उच्च न्यायालय निर्णय की आवश्यकता वाले वास्तविक बिंदु से पूरी तरह चूक गया हो या प्रासंगिक सामग्री से चूक गया हो या उसकी अनदेखी की गई हो, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय किसी पक्ष के साथ गंभीर अन्याय को रोकने के उद्देश्य से साक्ष्य देने में उचित होगा।

[पैरा 61] [1122-डी-ई]

8.4 दूसरी ओर, एक अपील मूल कार्यवाही की निरंतरता है। जहाँ एक से एक वैधानिक अपील है न्यायाधिकरण का अपीलीय आदेश, अपीलीय न्यायालय मामले की पुनः सुनवाई करने, रिकॉर्ड पर साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करने और पुनः विश्लेषण करने, आक्षेपित आदेश की शुद्धता का निर्णय लेने और तथ्य और कानून दोनों की त्रुटियों को सही करने के लिए बाध्य है, जो न्यायाधिकरण ने की होंगी। [पैरा 62] [1122-एफ]

9.1 पारित करने से संबंधित संविधान का अनुच्छेद 200

धन विधेयकों को छोड़कर विधेयकों के लिए, द्वारा पारित विधेयकों की आवश्यकता होती है

किसी राज्य की विधान सभा, या विधान परिषद वाले राज्य के मामले में, राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित एक विधेयक, जिसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है -

सहमति दें। राज्यपाल की सहमति मिलने पर ऐसे विधेयक कानून बन जाते हैं। [पैरा 63] [1122-जी]

9.2 संविधान के अनुच्छेद 200 का दूसरा प्रावधान राज्यपाल को किसी विधेयक को मंजूरी देने से रोकता है।

राष्ट्रपति का विचार। राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून के मामले में राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है, जो उच्च न्यायालय की शक्तियों का अपमान करेगी, क्योंकि उस स्थिति को खतरे में डालती है जिसे वह न्यायालय संविधान द्वारा भरने के लिए बनाया गया है। [पैरा 68,65] [1123-बी-एफ] 9.3 अनुच्छेद 200 का दूसरा परंतुक किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2) के मामले में आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि यह उच्च न्यायालय की किसी भी शक्ति का अपमान नहीं करता है। यह अच्छी तरह से तय है कि अपील करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है। अपील का अधिकार राजेंद्र दीवान बनाम है।

प्रदीप कुमार रानीबाला और ए. एन. आर.

10.1 अनुच्छेद 246 के खंड 1 और 2 द्वारा प्रदत्त शक्ति का विस्तार, संसद को सूची I और III में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक कानून बनाने के लिए सक्षम बनाता है, भले ही इस तरह के विस्तार पर संविधान के भाग V के अध्याय IV के विभिन्न अनुच्छेदों द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 248 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर भारत की संसद के पास, संविधान के अनुच्छेद 246 ए के अधीन, समवर्ती सूची या राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की अनन्य शक्ति है। इस प्रकार विधान की अवशिष्ट शक्ति संसद के पास है।

[पैरा 71,72] [1124-बी-सी]

10.2 राज्य सूची की प्रविष्टि 65 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 46 को देखते हुए, राज्य विधानमंडल ऐसा कानून बना सकता है जो

उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में यह कानून बना सकता है जो अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करता है

उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन को छोड़कर, लेकिन वह ऐसी विधि अधिनियमित नहीं कर सकता जो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को छूती हो। किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323 बी के तहत की गई है। अनुच्छेद 226 और 227 को छोड़कर उच्च न्यायालय की अधिकारिता को संविधान के अनुच्छेद 323 बी (3) (डी) द्वारा बचाया जाएगा, लेकिन उच्चतम न्यायालय में वैधानिक अपील के प्रावधान से नहीं।

[पैरा 73] [1124-डी-एफ]

अधिकार क्षेत्र, गलत और आधारहीन है। कोई कारण नहीं है संविधान की अनुसूची में अनुच्छेद 138 (1) या संघ सूची की प्रविष्टि 77 के दायरे को कृत्रिम रूप से प्रतिबंधित करना। की प्रविष्टि 77

संघ सूची, अपने स्पष्ट अर्थ के अनुसार, और अनुच्छेद 138 (1) में मूल और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार शामिल होने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट। [पैरा 74] [1124-एफ-जी]

11.1 यह निवेदन कि जब कोई राज्य कानून प्राप्त करता है

भारत के राष्ट्रपति की सहमति, वह कानून राज्यों में प्रचलित है, [2019] 17 एस. सी. आर.

एक पूर्ववर्ती संघ कानून के साथ प्रतिकूलता के बावजूद, यह असाधारण है। हालांकि, राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं है

विधायी अक्षमता के मामले में अंतर। राष्ट्रपति की सहमति राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों से अधिक किसी अधिनियम को मान्य नहीं कर सकती है और न ही किसी वैधानिक प्रावधान को मान्य करती है, जो संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को अनुचित बना देगा। राष्ट्रपति की मंजूरी ने तिरस्कार को ठीक किया

पूर्ववर्ती केन्द्रीय संविधि के साथ, बशर्ते कि राज्य विधानमंडल अन्यथा संविधि को अधिनियमित करने में सक्षम हो। [पैरा 75,76] [1124 एच; 1125-ए-बी]

11.2 इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रपति की सहमति एक वैधानिक प्रावधान को मान्य नहीं करेगी जो विधायिका थी

अधिनियमित करने में अक्षम, इस सवाल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या राष्ट्रपति के पास विचार करने का अवसर था

किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2) का विरोध

संविधान के प्रावधान, विशेष रूप से, प्रविष्टि 65 सहित

राज्य सूची और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 46, जो राज्य विधानमंडल से स्पष्ट रूप से बाहर करती है, की सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को प्रभावित करने वाली विधि बनाने की क्षमता और/या शक्ति। [पैरा 77] [1125-सी]

12. किराया अधिनियम की धारा 13 (2) का उद्देश्य एक अधिकार प्रदान करना है।

उच्चतम न्यायालय में वैधानिक दूसरी अपील। यहां तक कि किराया नियंत्रक और किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के समवर्ती निष्कर्षों के मामले में भी, जहां कानून का कोई गंभीर सवाल शामिल नहीं था, एक अपील पर विचार करना होगा और निर्णय लेना होगा। ऐसा प्रावधान जो सर्वोच्च न्यायालय को किसी अपील पर विचार करने के लिए अनिवार्य करता है, स्पष्ट रूप से राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे है। अनुच्छेद 200 किसी अधिकार से बाहर के अधिनियम को मान्य नहीं करता है और न ही कर सकता है, जिसे लागू करने के लिए संबंधित विधानमंडल में क्षमता का अभाव था। [पैरा 79] [1125-ई-एफ]

13.1 संविधान के अनुच्छेद 138 (2) में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय के पास ऐसी आगे की अधिकारिता और शक्तियां होंगी।

भारत सरकार और किसी भी मामले के संबंध में यदि संसद विधि द्वारा ऐसी अधिकारिता के प्रयोग का प्रावधान करती है तो किसी भी राज्य की सरकार विशेष समझौते द्वारा प्रदान कर सकती है।

और उच्चतम न्यायालय द्वारा शक्तियाँ। एक विशेष समझौते का अर्थ है, सरकार राजेंद्र दीवान बनाम के बीच हुआ एक स्वतंत्र समझौता।

प्रदीप कुमार रानीबाला और ए. एन. आर.

भारत और किसी राज्य की सरकार के बीच विचार-विमर्श और बातचीत के माध्यम से न कि केवल कानून का अनुमोदन

मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर राष्ट्रपति। किसी भी मामले में, सर्वोच्च न्यायालय सरकार के बीच एक विशेष समझौते के अनुसार आगे की अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है किसी विशेष मुद्दे पर भारत और राज्य सरकार, बशर्ते

संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का प्रावधान करती है। संसद ने कानून नहीं बनाया है।

ऐसा कोई कानून जो उच्चतम न्यायालय को किसी विषय वस्तु के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है जिस पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी हो। भारत सरकार और राज्य सरकार। अनुच्छेद 138 (2) आकर्षित नहीं करता है। [पैरा 80,82,83] [1125-जी-एच; 1126-बी-डी]

13.2 यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी विधेयक के लिए आरक्षण

राष्ट्रपति की सहमति और राष्ट्रपति की सहमति का परिणामी अनुदान, दोनों देशों के बीच विशेष समझौते के समान है। भारत सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। [पैरा 81] [1126-बी-सी]

14. अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधीक्षण की शक्ति

उनके अधिकार की सीमाएँ। जब कोई न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य करता है, तो उच्च न्यायालय इसके प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करता है। असाधारण रिट क्षेत्राधिकार जब तक कि न्याय का गंभीर गर्भपात या कानून का घोर उल्लंघन न हो। अनुच्छेद के तहत अधिकारिता

227 "छद्म वेश में अपील के लबादा में" प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अधीक्षण की अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए और /

या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत न्यायिक समीक्षा, उच्च न्यायालय कानून की पेटेंट त्रुटि के मामलों में हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करते हैं जो निर्णय की जड़ तक जाते हैं; विकृति; मनमानेपन और/या अनुचितता; प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, अधिकार क्षेत्र की कमी और शक्तियों का दुरूपयोग। उच्च न्यायालय अभिलेख पर साक्ष्य और/या सामग्री का पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है। क्या उच्च न्यायालय किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के निर्णय का परीक्षण करने के लिए अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र को [2019] 17 एस. सी. आर. में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

वैकल्पिक अपीलीय मंच, सिर्फ इसलिए कि कानून की नजर में अपील का कोई अन्य प्रावधान नहीं है। [पैरा 86,87] [1126-जी-एच; 1127-ए-सी]

एल. चंद्र कुमार बनाम। भारत संघ और अन्य आकाशवाणी

1997 एससी 1125: [1997] 2 एस. सी. आर. 1186-अनुसरण किया गया।

समशेर सिंह बनाम। पंजाब राज्य और आन्र आकाशवाणी 1974

एससी 2192; पुथियादथ जयमती अवा और अन्य। वी.

के. जे. नागा कुमार और अन्य। एयर 2001 केर 38; के. के. पूनाचा वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। (2010) 9

एससीसी 671 [2010] 10 एससीआर 1022; संयुक्त प्रांत

वी. अतिका बेगम ए. आई. आर. 1941 एफ. सी. 16-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर 1974 एस. सी 2192

पैरा 19

संदर्भित किया गया है

एयर 2001 केर 38

पैरा 22

[2010] 10 एससीआर 1022

पैरा 32

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 48

ए. आई. आर. 1941 एफ. सी. 16

[2002] 4 पूरक।

संदर्भित किया गया है

पैरा 58

एससीआर 428 [1955] एससीआर 941

संदर्भित किया गया है

पैरा 59

[1997] 2 एससीआर 1186

पीछा किया।

पैरा

66,67,85,88

(2019) 10 एससीसी 26

पैरा 84,85

उस पर भरोसा करें

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3613

2016 से।

किराए के 01.12.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 की अपील संख्या 25 ए में नियंत्रण न्यायाधिकरण, छत्तीसगढ़, रायपुर में क्षेत्रीय पीठ

सिविल अपील सं। 10214 2016 का, 2017 का 3051। के. के. वेणुगोपाल, महान्यायवादी, समीर श्रीवास्तव, कुणाल

वर्मा, विक्रांत सिंह बैस, श्रीराम पी. पिंगले, सुमीर सोधी, आशीष तिवारी, कौस्तुभ शुक्ला, अभय सिंह, पुरुषोत्तम रेड्डी, कुणाल वर्मा, रवि प्रकाश मेहरोत्रा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

राजेन्द्र दीवान बनाम। प्रदीप कुमार रानीबाला और ए. एन. आर.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

1. यह अपील, कथित रूप से धारा 13 (2) के तहत

छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम, 2011, जिसे इसके बाद "किराया नियंत्रण अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है, रायपुर में किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के एक आदेश के खिलाफ है, जो किराया नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा पारित एक आदेश की पुष्टि करता है, जिसके तहत प्रत्यर्थी-मकान मालिक द्वारा किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 के तहत अपीलकर्ता किरायेदार को बेदखल करने के लिए दायर एक आवेदन की अनुमति दी गई है।

2. किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

(1) इस अधिनियम में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, किराया नियंत्रक के किसी भी आदेश से पीड़ित मकान मालिक और/या किरायेदार को निर्धारित समय के भीतर निर्धारित तरीके से अपील करने का अधिकार होगा।

किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण।

(2) किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील

सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा।

3. दिनांक 18.4.2016 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय की एक पीठ ने अपील की स्थिरता के बारे में गंभीर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम दृष्टया विधायी क्षमता का अभाव था

न्यायाधिकरण के आदेशों से सीधे उच्चतम न्यायालय में वैधानिक अपीलों के लिए प्रावधान करने वाली विधि अधिनियमित करना। तदनुसार, भारत के महान्यायवादी और छत्तीसगढ़ राज्य के महान्यायवादी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था।

4. 19.4.2017 पर, इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने उनके बीच सुनवाई की

अन्य, छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता। महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि किराया नियंत्रण अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, इसकी धारा 13 (2) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के साथ पठित अनुच्छेद 138 (2) द्वारा संरक्षित किया गया था और यह वैध और लागू करने योग्य था।

5. वकील और विद्वान महाधिवक्ता को सुनने के बाद

छत्तीसगढ़ राज्य की पीठ का विचार था कि अपील में संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, और तदनुसार अपील को संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के संदर्भ में इस न्यायालय की संविधान पीठ को सौंपने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया। मुख्य न्यायाधीश ने अपील को इस पीठ को भेज दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत इस पीठ द्वारा जिस प्रश्न का निर्धारण करने की आवश्यकता है, वह विधायी क्षमता की कमी के कारण भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल इस प्रावधान को लागू करेगा।

7. इस एच से पहले दिए गए तर्कों से निपटने से पहले, भारत के संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित किया गया है।

सुविधा के लिए नीचे दिया गया हैः

" 124. उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन

(1) भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और जब तक संसद कानून द्वारा एक बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती, तब तक सात से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे।

XXX

XXX

XXX 130. उच्चतम न्यायालय की सीट। - उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियुक्त करे।

131 : उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र

इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, किसी भी अन्य न्यायालय को छोड़कर, सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी विवाद में मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।

(क) भारत सरकार और एक या अधिक के बीच

राज्य; या

((ख) भारत सरकार और किसी राज्य के बीच या

एक तरफ के राज्य और एक या अधिक अन्य राज्य दूसरा; या

(ग) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, यदि और जहाँ तक

विवाद में कोई भी प्रश्न शामिल है (चाहे वह कानून का हो या

तथ्य) जिस पर किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार हो

निर्भर करता हैः

बशर्ते कि उक्त अधिकार क्षेत्र का विस्तार किसी संधि, समझौते, वाचा से उत्पन्न होने वाले विवाद तक नहीं होगा,

सगाई, सनद या इसी तरह का अन्य साधन, जिसे एंड्रा दीवान के प्रारंभ से पहले दर्ज किया गया हो या निष्पादित किया गया हो।

प्रदीप कुमार रानीबाला और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

यह संविधान, इसके बाद भी जारी है

प्रारम्भ, या जो यह उपबंध करता है कि उक्त अधिकारिता इस तरह के विवाद का विस्तार नहीं होगा।

132 : से अपीलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता

कुछ मामलों में उच्च न्यायालय।

(1) उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।

भारत का राज्यक्षेत्र, चाहे वह किसी दीवानी, आपराधिक या अन्य कार्यवाही में हो, यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 क के तहत प्रमाणित करता है कि मामले में इसकी व्याख्या के बारे में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।

संविधान।

(2) .....

डब्ल्यू. ई. एफ. 1.8.1979 को हटा दिया गया

(3) जहां ऐसा प्रमाण पत्र दिया जाता है, मामले में कोई भी पक्ष इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है कि उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया गया है।

गलत निर्णय लिया। स्पष्टीकरण। - इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, "अंतिम आदेश" पद में एक मुद्दे का निर्णय करने वाला आदेश शामिल है, जो यदि अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो मामले के अंतिम निपटारे के लिए पर्याप्त होगा।

दीवानी मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय। (1) सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी पक्ष से अपील की जाएगी।

भारत के क्षेत्र में उच्च न्यायालय की दीवानी कार्यवाही में निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है

अनुच्छेद 134 ए के तहत

(क) कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।

सामान्य महत्व का; और

(ख) उच्च न्यायालय की राय में उक्त प्रश्न का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाने की आवश्यकता है।

(2) अनुच्छेद 132 में कुछ भी होने के बावजूद, कोई भी पक्षकार

खंड (1) के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए ऐसी अपील में एक आधार के रूप में आग्रह किया जा सकता है कि इस संविधान की व्याख्या के बारे में कानून का प्रश्न

गलत निर्णय लिया गया है।

(3) इस अनुच्छेद में कुछ भी होने के बावजूद, कोई भी अपील, जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करती है, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश से उच्चतम न्यायालय।

134 : आपराधिक मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता।

(1) भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में किसी भी निर्णय, अंतिम आदेश या सजा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी यदि उच्च न्यायालय (ए) अपील पर किसी आरोपी व्यक्ति को बरी करने के आदेश को उलट देता है और उसे मौत की सजा सुनाता है; या (बी) किसी भी अदालत से किसी भी मामले को अपने समक्ष सुनवाई के लिए वापस ले लेता है।

अपने अधिकार के अधीन है और इस तरह के मुकदमे में आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया है और उसे मौत की सजा सुनाई है; या (सी) अनुच्छेद 134 ए के तहत प्रमाणित करता है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त हैः बशर्ते कि उपखंड (ग) के तहत अपील ऐसे प्रावधानों के अधीन होगी जो इस संबंध में निम्नानुसार किए जाएंः

अनुच्छेद 145 के खंड (1) और ऐसी शर्तों के लिए जो उच्च न्यायालय स्थापित या अपेक्षित करे।

(2) संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को किसी भी व्यक्ति की अपीलों पर विचार करने और उनकी सुनवाई करने की कोई और शक्ति प्रदान कर सकती है।

भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में निर्णय, अंतिम आदेश या सजा

ऐसी कानून में निर्दिष्ट की जाने वाली शर्तें और सीमाएँ।

134 एः उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र।

प्रत्येक उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 132 के खंड (1) या अनुच्छेद 133 के खंड (1) या अनुच्छेद 134 के खंड (1) में निर्दिष्ट निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या सजा पारित करता है या देता है। -

(क) यदि वह ऐसा करना उचित समझता है, तो अपने स्वयं के प्रस्ताव पर कर सकता है; और (ख) यदि पीड़ित पक्ष द्वारा या उसकी ओर से मौखिक आवेदन किया जाता है, तो ऐसे निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या सजा के पारित होने या बनाने के तुरंत बाद,

इस तरह के उत्तीर्ण होने या बनाने के बाद, जितनी जल्दी हो सके, इस सवाल का निर्धारण करें कि क्या प्रकृति का कोई प्रमाण पत्र एंद्रा दीवान v को संदर्भित करता है।

प्रदीप कुमार रानीबाला और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

उस मामले के संबंध में अनुच्छेद 132 के खंड (1) या अनुच्छेद 133 के खंड (1) या, जैसा भी मामला हो, अनुच्छेद 134 के खंड (1) के उपखंड (सी) में दिया जा सकता है।

135 : उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियां।

जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं करती, तब तक सर्वोच्च न्यायालय के पास भी इस संबंध में अधिकार क्षेत्र और शक्तियां होंगी।

ऐसे किसी भी मामले में, जिस पर अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 134 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, यदि किसी मौजूदा कानून के तहत इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले संघीय न्यायालय द्वारा उस मामले के संबंध में अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता था।

136 : उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अनुमति।

(1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, उच्चतम न्यायालय, अपने विवेकाधिकार में, किसी निर्णय, डिक्री से अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है -

किसी भी कारण में निर्धारण, सजा या आदेश या

किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या बनाया गया मामला

भारत का क्षेत्र।

(2) खंड (1) की कोई बात किसी निर्णय पर लागू नहीं होगी,

किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या किया गया निर्धारण, सजा या आदेश

सशस्त्र बलों से संबंधित कानून।

संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा घोषित किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी।
138 : उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार।

(1) उच्चतम न्यायालय के पास आगे ऐसा होगा

संघ सूची के किसी भी मामले के संबंध में अधिकारिता और शक्तियाँ जो संसद कानून द्वारा कर सकती है।

प्रदान करें।

(2) उच्चतम न्यायालय के पास आगे ऐसा होगा

किसी भी मामले के संबंध में अधिकारिता और शक्तियाँ जो भारत सरकार और किसी भी राज्य की सरकार विशेष समझौते द्वारा प्रदान कर सकती हैं, यदि संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का प्रावधान करती है।

139 : कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का सम्मेलन।

संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है, जिसमें -

बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस, निषेध, क्वो की प्रकृति अनुच्छेद 32 के खंड (2) में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए वारंटी और प्रमाणपत्र, या उनमें से कोई भी।

139 एः कुछ मामलों का स्थानांतरण।

(1) जहां कानून के समान या पर्याप्त रूप से समान प्रश्नों से जुड़े मामले सर्वोच्च न्यायालय और एक या अधिक उच्च न्यायालयों या दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं और सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या भारत के महान्यायवादी द्वारा या ऐसे किसी मामले के किसी पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर संतुष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रश्न पर्याप्त हैं।

सामान्य महत्व के प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है

उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले या मामलों को वापस लें

या उच्च न्यायालयों को और सभी मामलों का स्वयं निपटानः

बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय निर्धारित करने के बाद

कानून के उक्त प्रश्न इस प्रकार वापस लिए गए किसी भी मामले को ऐसे प्रश्नों पर अपने निर्णय की एक प्रति के साथ उच्च न्यायालय को वापस करते हैं। जिस न्यायालय से मामला वापस ले लिया गया है, और उच्च न्यायालय उसकी प्राप्ति पर ऐसे निर्णय के अनुरूप मामले का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(2) उच्चतम न्यायालय, यदि वह न्याय के उद्देश्यों के लिए ऐसा करना समीचीन समझता है, तो किसी भी मामले, अपील या अन्य को स्थानांतरित कर सकता है।

किसी भी उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाहियाँ।

140 : उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियाँ।

संसद कानून द्वारा प्रदान करने के लिए प्रावधान कर सकती है

उच्चतम न्यायालय ऐसी पूरक शक्तियाँ एन. डी. आर. ए. दीवान बनाम नहीं।

प्रदीप कुमार रानीबाला और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

इस संविधान के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत

जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो। न्यायालय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में सक्षम बनाना

इस संविधान द्वारा या उसके तहत उसे प्रदत्त अधिकारिता।

141 : उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी के लिए बाध्यकारी होगा अदालतें।

उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून बाध्यकारी होगा -

142 : उच्चतम न्यायालय के आदेशों और आदेशों का प्रवर्तन और खोज आदि के बारे में आदेश।

(1) उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो।

या उसके समक्ष लंबित विषय, और इस प्रकार पारित कोई डिक्री या इस प्रकार बनाया गया आदेश भारत के पूरे क्षेत्र में उस तरीके से लागू करने योग्य होगा जो उसके द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किया जाए।

संसद और, जब तक कि उस संबंध में प्रावधान इस प्रकार नहीं किया जाता है, उस तरीके से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा करे।

निर्धारित करें।

(2) इसमें बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन

संसद की ओर से, सर्वोच्च न्यायालय को, पूरे भारत के क्षेत्र के संबंध में, किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने, किसी भी दस्तावेज की खोज या उत्पादन के उद्देश्य से कोई भी आदेश देने की पूरी शक्ति होगी, या
स्वयं की किसी भी अवमानना की जांच या सजा।

143 : उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति।

(1) यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि

कानून या तथ्य का प्रश्न उत्पन्न हुआ है, या उत्पन्न होने की संभावना है, जो ऐसी प्रकृति और सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, वह प्रश्न को विचार के लिए उस न्यायालय को भेज सकता है और

न्यायालय, ऐसी सुनवाई के बाद, जो वह उचित समझे, रिपोर्ट कर सकता है।

राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय दें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2) राष्ट्रपति, किसी बात के होते हुए भी,

अनुच्छेद 131 का परंतुक, इस प्रकार के विवाद को संदर्भित करता है

उच्चतम न्यायालय के उक्त परंतुक में उल्लिखित

राय के लिए और उच्चतम न्यायालय, इस तरह के बाद

सुनवाई जैसा वह उचित समझता है, राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट करें उस पर राय।

144 : सिविल और न्यायिक प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे। भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक, सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे।

145 : न्यायालय के नियम आदि।

(1) संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, आम तौर पर न्यायालय की प्रथा और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है।

XXX

XXX

XXX

200. बिलों को मंजूरी। जब किसी राज्य की विधान सभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य की स्थिति में कोई विधेयक राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया हो, तो उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषणा करेगा कि या तो वह विधेयक को मंजूरी देता है या वह उससे सहमति रोकता है या वह विधेयक को राज्य के विधानमंडल के विचार के लिए सुरक्षित रखता है। अध्यक्षः

बशर्ते कि राज्यपाल, जितनी जल्दी हो सके,

यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो उसे सहमति के लिए प्रस्तुत करने के लिए विधेयक को इस संदेश के साथ लौटा दें कि सदन या सदन विधेयक या उसके किसी निर्दिष्ट प्रावधान पर पुनर्विचार करेंगे और विशेष रूप से, ऐसे किसी भी संशोधन को पेश करने की वांछनीयता पर विचार करेंगे जिसकी वह अपने संदेश में सिफारिश कर सकते हैं और जब कोई विधेयक इस तरह से वापस किया जाता है, तो सदन या सदन तदनुसार विधेयक पर पुनर्विचार करेंगे।

और यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन के साथ या उसके बिना फिर से पारित किया जाता है और राज्यपाल को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल उससे सहमति नहीं रोकेगाः

बशर्ते कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को मंजूरी नहीं देगा, लेकिन राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखेगा।

प्रदीप कुमार रानीबाला और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

जो राज्यपाल की राय में, यदि यह कानून बन जाता है, तो उच्च न्यायालय की शक्तियों का इतना अवमूल्यन करेगा कि -

उस स्थिति को खतरे में डालना जो वह न्यायालय इस संविधान द्वारा है भरने के लिए डिज़ाइन किया गया।

201. बिल विचार के लिए आरक्षित है। - जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति या तो यह घोषणा करेगा कि वह विधेयक को मंजूरी देता है या वह उससे सहमति रोकता हैः बशर्ते कि, जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है, राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयक को सदन में वापस करने का निर्देश दे सकता है या -

यथास्थिति, राज्य के विधानमंडल के सदनों ने ऐसे संदेश के साथ, जिसका उल्लेख पहले अनुच्छेद में किया गया है,

अनुच्छेद 200 का परंतुक और जब कोई विधेयक इस प्रकार वापस किया जाता है, तो सदन या सदन ऐसे संदेश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर तदनुसार उस पर पुनर्विचार करेंगे।

और, यदि इसे सदन या सदनों द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है, तो इसे फिर से सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

राष्ट्रपति उनके विचार के लिए।

XXX

XXX

XXX

245. संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार।

(1) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन,

संसद संपूर्ण या किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है।

भारत के क्षेत्र का, और एक का विधानमंडल राज्य पूरे या किसी भी भाग के लिए कानून बना सकता है।

राज्य

(2) संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को ऐसा नहीं माना जाएगा

इस आधार पर अमान्य है कि इसमें अतिरिक्त होगा

क्षेत्रीय संचालन।

246. विषय-संसद और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय

राज्यों के विधानमंडल। - (1) खंड (2) और (3) में कुछ भी होने के बावजूद, संसद को सूची I में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है। सातवीं अनुसूची में (इस संविधान में "संघ सूची" के रूप में संदर्भित)।

(2) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद और खंड (1) के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल को भी किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।

संविधान को "समवर्ती सूची" कहा जाता है)। (3) खंड (1) और (2) के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल को ऐसे राज्य या किसी भाग के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।

सातवीं अनुसूची (इस संविधान में निर्दिष्ट) में सूची II में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में

"राज्य सूची" के रूप में)।

(4) संसद के पास भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है, इसके बावजूद कि ऐसा मामला एक मामला है।

247. स्थापना के लिए प्रावधान करने की संसद की शक्ति कुछ अतिरिक्त न्यायालयों का।

इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा संसद द्वारा बनाई गई विधियों या इनमें उल्लिखित किसी मामले के संबंध में किसी भी मौजूदा विधियों के बेहतर प्रशासन के लिए किसी अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कर सकती है।

संघ सूची। 248. विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ।

(1) संसद के पास किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की अनन्य शक्ति है जो इस में उल्लिखित नहीं है।

समवर्ती सूची या राज्य सूची

(2) इस तरह की शक्ति में कर लगाने वाला कोई भी कानून बनाने की शक्ति शामिल होगी जिसका उनमें से किसी में भी उल्लेख नहीं है।

सूचियाँ

262. अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय। - (1) संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है।

(2) इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, संसद कानून द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई एंड्रा दीवान v.

प्रदीप कुमार रानीबाला और ए. एन. आर.

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

अन्य न्यायालय ऐसे किसी भी मामले में अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

विवाद या शिकायत जैसा कि खंड (1) में निर्दिष्ट है।

348. उच्चतम न्यायालय में उपयोग की जाने वाली भाषा और

उच्च न्यायालयों और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए। - (1) इसके बावजूद

इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी, जब तक कि

संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान करती है

(क) उच्चतम न्यायालय में और प्रत्येक मामले में सभी कार्यवाहियां

उच्च न्यायालय,

((b) आधिकारिक ग्रंथ

((i) संसद के किसी भी सदन में या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किए जाने वाले सभी विधेयकों या उनमें संशोधनों के बारे में,

((ख) संसद द्वारा पारित सभी अधिनियमों का, या

किसी राज्य का विधानमंडल और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेश

एक राज्य, और

((ग) इस संविधान के तहत या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत जारी किए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उप-कानूनों के बारे में,

अंग्रेजी भाषा में होगा।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी,

किसी राज्य का राज्यपाल, की पूर्व सहमति से

राष्ट्रपति, हिंदी भाषा के उपयोग को प्राधिकृत करता है, या

किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली कोई अन्य भाषा

राज्य, उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका अपना प्रधान होता है

उस राज्य में सीटः बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी किसी पर लागू नहीं होगा

ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा पारित या बनाया गया निर्णय, डिक्री या आदेश

अदालत।

8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि किराया नियंत्रण अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अधिनियमित किया गया है।

अधिनियम की प्रविष्टि 18 द्वारा प्रदत्त विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए

I, अर्थात संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय के संविधान, संगठन, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के संबंध में, जिसमें ऐसे न्यायालय की अवमानना भी शामिल है, जबकि राज्य सूची की प्रविष्टि 65 राज्य विधानमंडल को निम्नलिखित के संबंध में कानून बनाने में सक्षम बनाती है - उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्ति।

10. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2) सुप्रीम कोर्ट को कोई अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती है।

न्यायालय, जो अन्यथा उच्चतम न्यायालय के पास नहीं था। किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2) भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय अधिकारिता प्रदान करती है, जो किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हमेशा थी और अभी भी है।

11. विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि प्रविष्टि 77 केंद्रीय संसद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान, संगठन, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के संबंध में कानून बनाने में सक्षम बनाती है। के अनुसार

अधिवक्ता, इस प्रविष्टि के दायरे को उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र को शामिल करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है।

12. वकील ने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 138 (1) में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास इस तरह की आगे की अधिकारिता और शक्तियां होंगी।

संघ सूची के किसी भी मामले के संबंध में, जो संसद कानून द्वारा प्रदान करे। वकील के अनुसार, इस प्रावधान को केवल सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को शामिल करने के लिए समझा जा सकता है।

13. वकील ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 138 (2) में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास इस संबंध में ऐसी आगे की अधिकारिता और शक्तियां होंगी -

कोई भी मामला, जैसा कि भारत सरकार और किसी भी राज्य की सरकार, विशेष समझौते द्वारा प्रदान कर सकती है, यदि संसद कानून द्वारा प्रदान करती है -

उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग।

14. विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2) अनुच्छेद 138 के अनुरूप है, जिसे अनुच्छेद 200 के साथ पढ़ा जाता है।

भारत का संविधान, जो राज्य विधानमंडल को भारत के राष्ट्रपति की सहमति के अधीन उच्च न्यायालय की अधिकारिता को कम करने वाला कानून बनाने में सक्षम बनाता है।

15. वकील ने आगे तर्क दिया कि यदि, राज्यपाल की राय में, कोई भी विधेयक, यदि यह कानून बन जाता है, तो इसकी शक्तियों का हनन होगा।

उच्च न्यायालय, संविधान द्वारा उच्च न्यायालय की जिस स्थिति को भरने के लिए बनाया गया है, उसे खतरे में डालने के लिए, राज्यपाल को विधेयक पर सहमति नहीं देनी है, बल्कि उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना है।

राजेन्द्र दीवान बनाम। प्रदीप कुमार रानीबाला और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।] 16. वकील ने प्रस्तुत किया कि एक कानून जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है, उसे राष्ट्रपति की सहमति से मान्य किया जा सकता है। राज्य

विधायिका उच्चतम न्यायालय में सीधी अपील का प्रावधान करके उच्च न्यायालय की अपीलीय शक्ति को प्रतिबंधित कर सकती है।

17. वकील ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 138 (2) और अनुच्छेद 200 के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि राज्य अपील करने के लिए कानून बना सकता है।

निम्नलिखित दो शर्तों में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता -

(i) जब भारत सरकार और किसी भी राज्य की सरकार सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र और शक्ति प्रदान करने के लिए सहमत हो [अनुच्छेद 138 (2)];

(ii) जब राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक को मंजूरी देते हैं [अनुच्छेद 200 का दूसरा परंतुक]

18. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में अनुच्छेद 138 (2) और अनुच्छेद 200 के दूसरे परंतुक दोनों की शर्तों का पालन किया गया है। राष्ट्रपति ने, राज्यपाल के संदर्भ में, विधेयक को मंजूरी दी, जिसके परिणामस्वरूप एक नया अधिनियम बनाया गया है।

19. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि, के अनुच्छेद 74 के अनुसार

स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते, लेकिन केवल उनकी सहायता और सलाह पर कार्य कर सकते हैं। मंत्री परिषद, वकील ने समशेर सिंह बनाम का हवाला दिया। पंजाब और अन्न राज्य। ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 2192 में सूचित किया गयाः (1974) 2 एससीसी 831।

20. वकील के अनुसार, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति, संविधान के अनुच्छेद 138 (2) की शर्तों के अनुपालन के समान है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर राष्ट्रपति की सहमति का अर्थ है समझौता। किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के आदेशों के संबंध में उच्चतम न्यायालय को अपीलीय अधिकारिता और शक्ति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच।

अनुच्छेद 138 (1) में 'संसद' की अभिव्यक्ति, यह तर्क देने के लिए कि भारत सरकार और किसी भी राज्य की सरकार विशेष समझौते द्वारा कर सकती है। उच्चतम न्यायालय को और अधिक अधिकारिता और शक्तियां प्रदान करें, जिसके लिए [2019] 17 एस. सी. आर.

संसद के किसी वैधानिक अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। किसी राज्य अधिनियम को मंजूरी देने के लिए भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह उस संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच एक समझौते को दर्शाती है।

22. वकील ने पुथियादथ जयमती अवा का भी हवाला दिया है और

ओआरएस। बनाम। के. जे. नागा कुमार और अन्य। ए. आई. आर. 2001 के. ई. आर. 38 में सूचित किया गया। उद्धृत निर्णय का हिस्सा नीचे दिया गया हैः

" ..... यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के कानून को मंजूरी देते हैं जिसे अनुच्छेद 200 के तहत विचार के लिए आरक्षित किया गया है, तो यह संघ के पहले के कानून के प्रतिकूल होने के बावजूद प्रबल होगा। इस प्रकार, भले ही प्रतिकूलता हो, कानून द्वारा बनाया गया राज्य का विधानमंडल, यदि इसके लिए आरक्षित था

राष्ट्रपति के विचार और उनकी सहमति प्राप्त कर ली है, राज्य में प्रबल होगा। इस प्रकार, 1976 के अधिनियम XXX से यह देखा जा सकता है कि यह राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित था और राष्ट्रपति ने 10-8 1976 पर अपनी सहमति दे दी है। इसलिए, अपीलार्थियों के विद्वान वकील का यह तर्क कि राज्य अधिनियम केंद्रीय अधिनियम को ओवरराइड नहीं कर सकता है, सही के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

23. वकील ने अंत में तर्क दिया कि यह तय किया गया कानून था कि संविधान और संविधान के प्रावधानों के बीच किसी भी विसंगति के मामले में किसी भी वैधानिक अधिनियम के प्रावधान, संविधान के विभिन्न अनुच्छेद और वैधानिक अधिनियमों के विभिन्न प्रावधान

सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए।

24. अपने तर्क के बारे में विस्तार से बताते हुए, वकील ने बताया कि अनुच्छेद 200 के दूसरे परंतुक के अंतिम भाग में यह अभिव्यक्ति "उस स्थिति को खतरे में डालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियों का अपमान करती है जिसे इस संविधान द्वारा उस न्यायालय को भरने के लिए डिज़ाइन किया गया है" भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के अपमान का संकेत देता है। किराया नियंत्रण अधिनियम अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की उच्च न्यायालयों की शक्ति को नहीं छूता है और 227 भारत का संविधान। किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2) केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है, जो संविधान के तहत निषिद्ध या वर्जित नहीं है।

25. वकील ने अपने तर्क को दृढ़ता से दोहराया कि किराया नियंत्रण अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया है।

जो पहले उसके पास नहीं था। अनुच्छेद 136 राजेंद्र दीवान बनाम को अपील करने का प्रावधान करता है।

प्रदीप कुमार रानीबाला और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी भी आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय। किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2) केवल इसके अनुरूप है या हो सकती है

अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का विस्तार।

26. दूसरी ओर, भारत के विद्वान महान्यायवादी ने,

प्रस्तुत किया कि किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2), जो किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत स्थापित किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीधी अपील का प्रावधान करती है, असंवैधानिक है, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे है।

27. विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि

किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2) को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में केवल तीन प्रविष्टियों को पढ़ने से स्पष्ट होती है। अर्थात्, सूची 1 (संघ सूची) की प्रविष्टि 77, सूची 2 (राज्य सूची) की प्रविष्टि 65 और सूची 3 (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 46।

28. विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि यह देखा जाएगा

कि संविधान के अनुच्छेद 146 (1) के साथ पठित सूची I की प्रविष्टि 77, संसद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों के संबंध में कानून बनाने के लिए अनन्य अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है।

इसके अलावा, सूची II की प्रविष्टि 65, साथ ही सूची III की प्रविष्टि 46, किसी राज्य विधानमंडल को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में कानून बनाने से रोकती है।

29. विद्वान महान्यायवादी ने आगे प्रस्तुत किया कि स्पष्ट

इन प्रविष्टियों की योजना और संरचना संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा समर्थित है, जो केवल संसद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कानून बनाने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये प्रावधानों में अनुच्छेद 124 (1), 125 (1), 125 (2), 133 (3), 134 (2), 135 (1), 137,138 (1), 138 (2), 139,140,145 (1), 262 और 348 (1) शामिल हैं।

30. विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि, तथ्य यह है कि

किराया नियंत्रण अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित किया गया था, और अनुच्छेद 201 के संदर्भ में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की थी, किसी भी तरह से राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता की सीमा को नहीं बदलेगा। इसका कारण यह है कि न तो किसी राज्य के राज्यपाल और न ही भारत के राष्ट्रपति किसी भी विधायी को विधायी क्षमता प्रदान कर सकते हैं।

निकाय, चाहे संसद हो या राज्य विधानमंडल, संविधान के प्रावधानों के विपरीत।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. विद्वान महान्यायवादी ने तर्क दिया कि संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण है

संविधान की सातवीं अनुसूची में निहित तीन सूचियों के साथ-साथ अनुच्छेद 246 और 248 सहित संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 द्वारा शासित। विधायी क्षमता का कोई भी प्रश्न अंततः इस न्यायालय द्वारा संविधान के इन प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेना होगा।

32. विद्वान महान्यायवादी ने के. के. पूनाचा बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया। कर्नाटक राज्य और अन्य। रिपोर्ट की गई

(2010) 9 एस. सी. सी. 671 में, जो अन्य बातों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 31 (3) की व्याख्या करता है, जैसा कि यह इसके निरसन से पहले था। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है और इसके खंड (3) में कहा गया है कि

" किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए खंड (2) में उल्लिखित कोई भी कानून तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए गए ऐसे कानून को उसकी सहमति नहीं मिल गई हो। के. के. पूनाचा (ऊपर) में, इस न्यायालय ने राय दीः

" अनुच्छेद 31 (3) की भाषा में जो निहित था वह यह था कि विशेष कानून की विधायी क्षमता के भीतर था राज्य और
इस तरह के कानून ने प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया

भाग III या इसके किसी अन्य प्रावधान में निहित

संविधान। संविधान के अनुच्छेद 31 (3) के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून को दी गई सहमति का मतलब यह नहीं था कि अधिनियम ने चुनौती से प्रतिरक्षा प्राप्त की, भले ही वह राज्य की विधायी क्षमता के भीतर नहीं थी या अन्यथा किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करती थी।

33. विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि के. के. पूनाचा (ऊपर) में इस न्यायालय की टिप्पणियां पूरी तरह से लागू होती हैं

संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान करने के लिए।

34. विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि यह ध्यान देने योग्य है कि किसी राज्य का राज्यपाल विचार के लिए एक विधेयक सुरक्षित रख सकता है

असंगति सहित विभिन्न कारणों से भारत के राष्ट्रपति संसदीय कानून के साथ, अन्य राज्यों के साथ संबंधों पर कानून का प्रभाव, आदि। कुछ स्थितियों में, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने के लिए बाध्य है, जिसमें शामिल मामले भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 200 के दूसरे परंतुक द्वारा, अर्थात एक विधेयक, जो राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय राजेंद्र दीवान बनाम की शक्तियों का इस प्रकार अवमूल्यन करेगा।

प्रदीप कुमार रानीबाला और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।] उस स्थिति को खतरे में डालने के लिए जो वह न्यायालय इस संविधान द्वारा है

भरने के लिए डिज़ाइन किया गया "। यह किसी राज्य के राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति की भूमिका और कर्तव्य के अनुरूप है, जिन्हें इंग्लैंड के राजा की तरह अभी भी "परामर्श लेने, प्रोत्साहित करने और चेतावनी देने" का अधिकार होगा।

शमशेर सिंह (ऊपर) में समझाया गया है। हालाँकि, राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा सहमति देने से राज्य के विधानमंडल की विधायी क्षमता के मुद्दे पर किसी भी तरह का प्रभाव या नियंत्रण नहीं होगा।

35. विद्वान महान्यायवादी ने 2019 (एच. एस. यादव बनाम आई. डी. 1) की सिविल अपील में आई. डी. 2 पर दिए गए इस न्यायालय की एक खंडपीठ के हालिया फैसले का भी उल्लेख किया। शकुंतला देवी

पारेख) किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2) को संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर और राज्य विधानमंडल की शक्तियों के दायरे से बाहर बताते हुए निरस्त कर दिया।

36. संसद और राज्य विधानमंडलों को अपनी शक्ति प्राप्त होती है -

भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 (1) से कानून बनाना और ऐसी शक्ति संविधान के प्रावधानों के अधीन और/या सीमित है। जबकि संसद पूरे या क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है।

इसका कोई भी भाग, भारत के संविधान में प्रतिबंधों के अधीन। 37. अनुच्छेद 246, जो संघ विधानमंडल और राज्य विधानमंडल के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करता है, विशेष शक्ति प्रदान करता है।

संसद को सातवीं अनुसूची, अर्थात संघ सूची में सूची I में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए। संघ संसद के पास, अनुच्छेद 246 के खंड (3) के अधीन, सातवीं अनुसूची में सूची III में उल्लिखित किसी भी मामले, यानी समवर्ती सूची के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।

38. जबकि संसद के पास संविधान के अनुच्छेद 246 (1) के तहत मामलों के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है। संघ सूची में सूचीबद्ध, राज्य विधानमंडल के पास अनन्य शक्ति है

अनुच्छेद 246 के खंड (1) और (2) के अधीन रहते हुए राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में कानून बनाना। संघ विधानमंडल के साथ-साथ राज्य विधानमंडल भी अनुच्छेद 246 (1) के प्रावधानों के अधीन समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए सक्षम है।

39. इन तीन सूचियों में प्रविष्टियाँ, जो इस पीठ को भेजे गए मुद्दों से संबंधित हैं, अर्थात् संघ सूची की प्रविष्टि 77, [2019] 17 एस. सी. आर. की प्रविष्टि 18 और 65।

सुविधा के लिए समवर्ती सूची की राज्य सूची और प्रविष्टि 46 नीचे दी गई हैं:

" सूची I-संघ सूची

" 77. का संविधान, संगठन, अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ

उच्चतम न्यायालय (ऐसे न्यायालय की अवमानना सहित), और

उसमें ली गई फीस; इससे पहले अभ्यास करने के हकदार व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट।

सूची II-राज्य सूची

" 18. भूमि, अर्थात, भूमि में या उस पर अधिकार, भूमि कार्यकाल

मकान मालिक और किरायेदार के संबंध सहित, और

किराए का संग्रह; कृषि का हस्तांतरण और अलगाव

भूमि सुधार और कृषि ऋण; उपनिवेशीकरण।

XXX

XXX

XXX

65. उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियाँ

न्यायालय, इस सूची के किसी भी मामले के संबंध में।

सूची III-समवर्ती सूची

46. उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियाँ

न्यायालय, इस सूची के किसी भी मामले के संबंध में।

40. उच्चतम न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत की गई है।

भारत के संविधान का और अपने अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को प्राप्त करता है अनुच्छेद 131 से 145 तक। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी भी कानून के तहत गठित न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान करता हो।

41. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 (2)

संसदीय अधिनियमों के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 262 (1) और अनुच्छेद 348 में निर्दिष्ट विवादों का न्यायनिर्णयन करना। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा से संबंधित, जिसे भारत के लिए विद्वान महान्यायवादी द्वारा संदर्भित किया गया है, वास्तव में निर्धारण के लिए इस पीठ को भेजे गए मुद्दे के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, सिवाय यह प्रदर्शित करने के कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सभी मामले विशेष रूप से केंद्रीय संसद के विधायी क्षेत्र के भीतर हैं।

42. राज्य सूची की प्रविष्टि 18 राज्य विधानमंडल को सक्षम बनाती है -

भूमि के संबंध में कानून बनाना, जिसमें भूमि में और उस पर अधिकार, भूमि के मालिक और किरायेदार के संबंध सहित भूमि कार्यकाल और राजेंद्र दीवान बनाम का संग्रह शामिल है।

प्रदीप कुमार रानीबाला और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

नियंत्रण अधिनियम, जहाँ तक वही मकान मालिक और किरायेदार के संबंध और किराया संग्रह को नियंत्रित करता है। 43. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा 3 जनवरी, 1977 से भारत के संविधान में अंतःस्थापित अनुच्छेद 323 बी उपयुक्त विधानमंडल को उक्त अनुच्छेद के खंड (2) में सभी या किसी भी मामले के संबंध में किसी भी विवाद, अपराध या शिकायत के न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय और/या मुकदमे का प्रावधान करने वाली कानून बनाने का अधिकार देता है।

44. अनुच्छेद 323 बी के खंड (2) को संविधान (75 वां संशोधन) अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, जो 15 मई, 1994 से प्रभावी था। अन्य बातों के साथ-साथ खंड (एच) सम्मिलित करें, जिससे उपयुक्त विधानमंडल को सक्षम बनाया जा सके।

किराया विनियमन और नियंत्रण सहित किरायेदारी और किराए से संबंधित मुद्दों के संबंध में किसी भी विवाद, शिकायतों या अपराधों के न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय या मुकदमे के लिए कानून बनाना।

45. संविधान की धारा 323 बी से जुड़े स्पष्टीकरण में अनुच्छेद 323 बी में "उपयुक्त विधानमंडल" का अर्थ संसद बताया गया है।

या, जैसा भी मामला हो, एक राज्य विधानमंडल, जो भारत के संविधान के भाग 11 के प्रावधानों के अनुसार मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए सक्षम है, जिसमें अनुच्छेद 245 और 246 शामिल हैं। 46. राज्य सूची की प्रविष्टि 18 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 बी और अनुच्छेद 245 और 246 के संयुक्त पठन पर

सातवीं अनुसूची, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि राज्य विधानमंडल सभी के निर्णय और मुकदमे का प्रावधान करने के लिए कानून बनाने में सक्षम था न्यायाधिकरण द्वारा किरायेदारी और किराए से संबंधित विवाद, शिकायतें और अपराध।

47. इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल किराया नियंत्रण अधिनियम को लागू करने के लिए सक्षम था, इस हद तक कि यह

किराया नियंत्रक द्वारा किरायेदारी और किराए से संबंधित मूल विवादों का न्यायनिर्णयन, और किराया नियंत्रक के आदेशों से अपीलों पर निर्णय लेने के लिए एक न्यायाधिकरण का निर्माण करता है, लेकिन अपवाद के अधीन, जैसा कि आगे चर्चा की गई है। 48. जब किसी अधिनियम के अधिकार के प्रश्न पर विचार किया जाता है, तो यह देखा जाता है कि क्या समग्र रूप से विधान को देखते हुए, इसे किसी भी मामले के संबंध में एक विधान कहा जा सकता है, जिसके संबंध में विधानमंडल [2019] 17 एस. सी. आर. के तहत विधान बनाने के लिए सक्षम है।

संविधान का कोई विशिष्ट अनुच्छेद, या संविधान में से कोई भी प्रविष्टि

सातवीं अनुसूची में प्रासंगिक सूची। एक बार जब यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यह ऐसा है, तो उस प्रविष्टि द्वारा प्रदत्त विधायी शक्ति का विस्तार सभी सहायक मामलों तक करना है, जिन्हें उस क्षेत्र में निष्पक्ष और यथोचित रूप से समझा जा सकता है, जैसा कि संयुक्त प्रांत बनाम अतिका बेगम में संघीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। अतिका बेगम ने ए. आई. आर. 1941 एफ. सी. 16 (25) में रिपोर्ट की और इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में दोहराया गया।

49. किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2), किराया नियंत्रण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में सीधी अपील का प्रावधान करती है।

राज्य सूची की प्रविष्टि 64 या समवर्ती सूची की प्रविष्टि 46 जो राज्य विधानमंडल को उच्चतम न्यायालय को छोड़कर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के संबंध में कानून बनाने में सक्षम बनाती है, या संघ सूची की प्रविष्टि 77 को अन्य रूप देने में सक्षम बनाती है, जो स्पष्ट रूप से कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में, विशेष रूप से संसद के लिए।

राजेन्द्र दीवान बनाम। प्रदीप कुमार रानीबाला और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

53. राज्य सूची की प्रविष्टि 18, जो केवल राज्य विधानमंडल को भूमि, भूमि कार्यकाल, मकान मालिक किरायेदार संबंध, किराए के संग्रह आदि के संबंध में कानून बनाने में सक्षम बनाती है, राज्य विधानमंडल को अपीलीय किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाली कानून बनाने में सक्षम नहीं बनाती है।

एक राज्य कानून के तहत गठित।

54. संघ सूची की प्रविष्टि 77 को देखते हुए, केवल संसद के पास संविधान के संबंध में कानून बनाने की विधायी क्षमता है।

सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, अधिकार क्षेत्र या शक्तियाँ। राज्य सूची की प्रविष्टि 64 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 46 राज्य विधानमंडल को सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियों के संबंध में कानून बनाने में सक्षम बनाती है। दूसरे शब्दों में, उक्त प्रविष्टियाँ

राज्य विधानमंडल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में कानून बनाने से स्पष्ट रूप से रोकें।

55. अनुच्छेद 323 बी (3) (डी) में प्रावधान है कि अनुच्छेद 323 बी (1) के तहत बनाया गया कानून अधिकार क्षेत्र को छोड़कर सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर सकता है।

उक्त न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी या किसी भी मामले के संबंध में अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय के। अनुच्छेद 323 बी राज्य विधानमंडल को अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से उच्चतम न्यायालय में आगे की वैधानिक अपील के लिए एक प्रावधान लागू करके सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने में सक्षम नहीं बनाता है।

56. अपीलार्थी के वकील का यह तर्क कि किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2) उच्चतम न्यायालय को प्रदान नहीं करती है,

उसके पास पहले से अधिकार क्षेत्र नहीं था, लेकिन यह केवल अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्ति का आकस्मिक और/या विस्तार है, जो कानून में टिकाऊ नहीं है।

आम तौर पर विशिष्ट के तहत अपीलीय न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा प्रयोग किया जाता है क़ानून।

58. अनुच्छेद 136 किसी भी पक्ष को अपील करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

लेकिन उच्चतम न्यायालय को उचित मामलों में हस्तक्षेप करने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति का प्रयोग अन्य बातों के बावजूद किया जा सकता है। संविधान या किसी अन्य कानून में निहित अपील के लिए प्रावधान, जैसा कि एन. नटराजन बनाम बी. के. सुब्बा राव ने (2003) 2 एस. सी. सी. 76 में बताया था।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

59. न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए किसी कानून द्वारा दी गई निष्कर्षात्मकता या अंतिमता, उच्चतम न्यायालय को इसका प्रयोग करने से नहीं रोक सकती है।

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र, जैसा कि इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा धारित किया गया है, अन्य बातों के साथ-साथ, ढाकेश्वरी कॉटन मिल्स लिमिटेड में।

बनाम आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल ने ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 65 में रिपोर्ट की और कई अन्य निर्णयों में दोहराया। अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग तब नहीं किया जाता है जब कोई क़ानून न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय को अंतिम रूप देता है।

60. भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय ने

न्यायालय विशेष अनुमति द्वारा अपीलों पर विचार करता है, जहां कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न शामिल होते हैं। जहाँ कानून में कोई अनिश्चितता है, वहाँ सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से कानून का निपटारा करता है। उच्चतम न्यायालय आम तौर पर अनुच्छेद 136 के तहत तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता है। यदि समवर्ती निष्कर्ष स्वीकृत मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित हैं, तो कोई हस्तक्षेप नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत।

61. संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय उन साक्ष्यों की फिर से सराहना नहीं करता है जो

62. दूसरी ओर, एक अपील मूल कार्यवाही की निरंतरता है। जहाँ एक अपीलीय आदेश से एक वैधानिक अपील है न्यायाधिकरण का, अपीलीय न्यायालय मामले की पुनः सुनवाई करने, अभिलेख पर साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करने और पुनः विश्लेषण करने, आक्षेपित आदेश की शुद्धता का निर्णय लेने और तथ्य और कानून दोनों की त्रुटियों को सुधारने के लिए बाध्य है, जो न्यायाधिकरण ने की होंगी।

63. धन विधेयकों को छोड़कर विधेयकों के पारित होने से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 200 में विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों की आवश्यकता होती है।

किसी राज्य का, या विधान परिषद वाले राज्य के मामले में, राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाने वाला विधेयक - राज्यपाल को सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया। राज्यपाल की सहमति मिलने पर ऐसे विधेयक कानून बन जाते हैं।

64. संविधान के अनुच्छेद 200 के दूसरे परंतुक में राज्यपाल को सहमति नहीं देने का आदेश दिया गया है, लेकिन राजेंद्र दीवान v.

प्रदीप कुमार रानीबाला और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

राष्ट्रपति का, कोई भी विधेयक, जो राज्यपाल की राय में, यदि यह कानून बन जाता है, तो उच्च न्यायालय की शक्तियों का इतना अवमूल्यन करेगा कि उस स्थिति को खतरे में डाल देगा जिसे भरने के लिए वह न्यायालय संविधान द्वारा बनाया गया है।

उच्च न्यायालय, उस स्थिति को खतरे में डालने के लिए जो वह न्यायालय है, द्वारा संविधान, जिसे भरने के लिए बनाया गया है।

66. राज्य सूची की प्रविष्टि 65 को प्रविष्टि 46 के साथ पढ़ा जाता है

समवर्ती सूची, जैसा कि ऊपर कहा गया है, राज्य विधानमंडल को उन सूचियों में से किसी भी मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियों के संबंध में कानून बनाने में सक्षम बनाती है। अतः राज्य विधानमंडल ऐसी विधि अधिनियमित करने में सक्षम हो सकता है जो उच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों को प्रभावित करती है, सिवाय इसके कि -

अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियां

ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 1125 में रिपोर्ट किए गए एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य में संविधान की एक अलंघनीय मूल विशेषता होने के लिए इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा अभिनिर्धारित।

67. अपीलार्थी के वकील का यह तर्क देना सही है कि एल चंद्र कुमार (उपरोक्त) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। राज्य विधानमंडल के पास ऐसा कानून बनाने की शक्ति है जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है, सिवाय उन शक्तियों के जो उच्च न्यायालय की एक अलंघनीय मूल विशेषता है।

संविधान, जैसे कि अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियाँ।

68. संविधान के अनुच्छेद 200 का दूसरा परंतुक राज्यपाल को किसी विधेयक को मंजूरी देने से रोकता है, जो राज्यपाल की राय में, यदि यह कानून बन जाता है, तो निम्नलिखित शक्तियों का अपमान करेगाः

उच्च न्यायालय की किसी भी शक्ति से। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कोई नहीं है अपील का अंतर्निहित अधिकार। अपील का अधिकार क़ानून द्वारा प्रदान किया जाता है। एक क़ानून केवल इसलिए अमान्य नहीं है क्योंकि इसमें उच्च न्यायालय में अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

70. इस संदर्भ के उद्देश्य के लिए, हमारे लिए इस प्रश्न में जाना आवश्यक नहीं है कि उच्च की शक्ति में कौन सी कटौती की गई है।

न्यायालय उस पद को खतरे में डाल देगा जिसे उच्च न्यायालय को संविधान द्वारा भरने की आवश्यकता है।

71. अनुच्छेद 246 के खंड 1 और 2 द्वारा प्रदत्त शक्ति का विस्तार, संसद को एक कानून बनाने के लिए सक्षम बनाता है

सूची I और III में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता, भले ही इस तरह के विस्तार पर संविधान के भाग V के अध्याय IV के विभिन्न अनुच्छेदों द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है।

72. भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर, संसद को संविधान के अनुच्छेद 246 ए के अधीन, किसी भी मामले में कोई भी कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।

समवर्ती सूची या राज्य सूची में सूचीबद्ध नहीं है। इस प्रकार विधान की अवशिष्ट शक्ति संसद के पास है।

73. यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि राज्य सूची की प्रविष्टि 65 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 46 को देखते हुए, राज्य विधानमंडल अधिनियम बना सकता है।

विधि जो उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता को प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में यह ऐसा कानून बना सकता है जो अनुच्छेद 226 और 227 को छोड़कर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करता है, लेकिन यह ऐसा कानून नहीं बना सकता जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छूता हो। किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323 बी के तहत की गई है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अनुच्छेद 226 और 227 के अलावा उच्च न्यायालय की अधिकारिता में कमी, यदि कोई हो, तो संविधान के अनुच्छेद 323 बी (3) (डी) द्वारा सहेजी जाएगी, लेकिन उच्चतम न्यायालय में वैधानिक अपील के प्रावधान से नहीं।

74. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का तर्क कि संघ सूची का अनुच्छेद 138 (1) और/या प्रविष्टि 77 केवल उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के दायरे में आता है, न कि इसके

अपीलीय क्षेत्राधिकार, भ्रामक और आधारहीन है। संविधान की अनुसूची में अनुच्छेद 138 (1) या संघ सूची की प्रविष्टि 77 के दायरे को कृत्रिम रूप से प्रतिबंधित करने का कोई कारण नहीं है। संघ सूची की प्रविष्टि 77, अपने स्पष्ट अर्थ के अनुसार, और अनुच्छेद 138 (1) में उच्चतम न्यायालय की मूल और अपीलीय अधिकारिता दोनों शामिल होनी चाहिए।

75. अपीलार्थी के वकील द्वारा आग्रह किया गया प्रस्ताव कि जब किसी राज्य के कानून को भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, तो वह कानून प्रबल होता है। राज्यों में, पहले के संघ कानून के प्रतिकूल होने के बावजूद, अपवादात्मक है।

76. हालांकि, राष्ट्रपति की मंजूरी से विधायी अक्षमता के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल सकती और न ही मिल सकती है।

राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों से अधिक किसी अधिनियम को मान्य करना, और न ही किसी वैधानिक प्रावधान को मान्य करना, जो संविधान के व्यक्त प्रावधानों को अन्य बना देगा। राष्ट्रपति की मंजूरी एक पूर्व केंद्रीय क़ानून के साथ प्रतिकूलता को ठीक करती है, बशर्ते कि राज्य

विधायिका अन्यथा क़ानून को अधिनियमित करने के लिए सक्षम है।

77. हमारे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रपति की सहमति एक वैधानिक प्रावधान को मान्य नहीं करेगी, जिसे विधायिका अधिनियमित करने में असमर्थ थी, हमें इस सवाल में जाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या राष्ट्रपति ने किया था।

संविधान के प्रावधानों के साथ किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2) के प्रतिकूलता पर विचार करने का अवसर, जिसमें विशेष रूप से,

राज्य सूची की प्रविष्टि 65 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 46, जो राज्य विधानमंडल से सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को प्रभावित करने वाले कानून को लागू करने की क्षमता और/या शक्ति को स्पष्ट रूप से बाहर करती है।

78. संविधान के अनुच्छेद 323 बी (1) के तहत बनाया गया कानून

79. किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2) का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय को वैधानिक दूसरी अपील का अधिकार प्रदान करना है। मामले में भी किराया नियंत्रक और किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के समवर्ती निष्कर्ष, जहां कानून का कोई गंभीर सवाल शामिल नहीं था, एक अपील पर विचार करना होगा और निर्णय लेना होगा। ऐसा प्रावधान जो सर्वोच्च न्यायालय को किसी अपील पर विचार करने के लिए अनिवार्य करता है, स्पष्ट रूप से राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे है, जैसा कि विद्वान महान्यायवादी ने तर्क दिया है। अनुच्छेद 200 जैसा कि ऊपर देखा गया है, किसी अधिकार से बाहर के अधिनियम को मान्य नहीं करता है और न ही कर सकता है, जिसे लागू करने के लिए संबंधित विधानमंडल में क्षमता का अभाव था।

80. संविधान के अनुच्छेद 138 (2) में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय के पास इस संबंध में ऐसी आगे की अधिकारिता और शक्तियां होंगी -

कोई भी मामला जो भारत सरकार और किसी भी राज्य की सरकार विशेष समझौते द्वारा प्रदान कर सकती है, यदि संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने का प्रावधान करती है।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

81. अपीलार्थी की ओर से पेश वकील की इस दलील को स्वीकार करना मुश्किल है कि राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक का आरक्षण राष्ट्रपति की सहमति और परिणामी अनुदान, भारत सरकार और राज्य के बीच विशेष समझौते के समान है।

सरकार, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है।

82. हमारे विचार में एक विशेष समझौते का अर्थ है भारत सरकार के बीच हुआ एक स्वतंत्र समझौता।

और विचार-विमर्श और बातचीत के माध्यम से किसी राज्य की सरकार, न कि केवल राष्ट्रपति द्वारा सहायता पर कानून का अनुमोदन और

मंत्रिपरिषद की सलाह।

83. किसी भी मामले में, सर्वोच्च न्यायालय सरकार के बीच एक विशेष समझौते के अनुसार आगे के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।

किसी विशेष मुद्दे पर भारत और राज्य सरकार, बशर्ते

संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का प्रावधान करती है। संसद ने ऐसा कोई अधिनियम नहीं बनाया है।

भारत सरकार और भारत सरकार के बीच सहमत किसी विषय वस्तु के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में सक्षम बनाने वाली विधि

राज्य सरकार। अनुच्छेद 138 (2) आकर्षित नहीं करता है।

84. हम एच. एस. यादव (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के उस फैसले से पूरी तरह सहमत हैं जिसमें कहा गया है कि किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2) संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और संविधान की शक्ति के दायरे से बाहर है।

राज्य विधानमंडल।

85. यह सच है कि एल. चंद्र कुमार (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधिकरणों का गठन संविधान के अनुच्छेद 323 ए और 323 बी के तहत किया गया है।

संविधान उन उच्च न्यायालयों के रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन था, जिनके अधिकार क्षेत्र में वे स्थित थे, जैसा कि इस न्यायालय ने एच. एस. यादव (ऊपर) में उल्लेख किया है।

86. हालाँकि, अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त अधीक्षण की शक्ति पर्यवेक्षी है और अपीलीय नहीं है। यह स्थापित कानून है कि न्यायिक अधीक्षण की इस शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए, ताकि

अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरण अपने अधिकार की सीमाओं के भीतर। जब कोई न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य करता है, तो उच्च न्यायालय अपने असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में तब तक हस्तक्षेप नहीं करता है जब तक कि न्याय की गंभीर विफलता या कानून का घोर उल्लंघन न हो। अधिकारिता अनुच्छेद 227 के तहत "भेष बदलकर अपील के लिबास में" प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

राजेन्द्र दीवान बनाम। प्रदीप कुमार रानीबाला और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।] 87. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अधीक्षण और/या न्यायिक समीक्षा की अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए,

उच्च न्यायालय कानून की पेटेंट त्रुटि के मामलों में हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करते हैं

जो निर्णय की जड़ तक जाते हैं; विकृति; मनमानेपन और/या अनुचितता; प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, अधिकार क्षेत्र की कमी और शक्तियों का दुरूपयोग। उच्च न्यायालय अभिलेख पर साक्ष्य और/या सामग्री का पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है। उच्च न्यायालय किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के निर्णय का परीक्षण करने के लिए अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा या नहीं, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र को एक वैकल्पिक अपीलीय मंच में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि कानून की नजर में अपील का कोई अन्य प्रावधान नहीं है।

88. एल. चंद्रकुमार (ऊपर) मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रभावी रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति

संविधान, संविधान की एक अलंघनीय बुनियादी विशेषता होने के कारण ऐसी शक्ति को वैधानिक अधिनियम द्वारा या उस मामले के लिए निरस्त नहीं किया जा सकता है।

यहां तक कि संवैधानिक संशोधन द्वारा भी। एल. चंद्रकुमार (उपरोक्त) को अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नहीं माना जा सकता है, ताकि वह अपीलीय शक्तियों का प्रयोग कर सके। 89. ऊपर चर्चा किए गए कारणों से, हमारा मानना है कि राज्य विधानमंडल में किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2) को लागू करने के लिए विधायी क्षमता का अभाव है। इसलिए हम किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 (2) को भारत के संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित करते हैं, जो अमान्य है और इसका कोई प्रभाव नहीं है।

अंकित ज्ञान

संदर्भित प्रश्न का उत्तर दिया गया।